

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

### आदेश

प्रार्थी सीता सिंह पुत्र करनैल सिंह के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में पटवार मण्डल चक हीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के चक 3 एनकेआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में खाता संख्या 48/35 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.स. | ग्राम का नाम    | चक व खाता संख्या                     | वर्तमान प्रविष्टि<br>(अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि<br>जो राजस्व रिकार्ड में<br>दर्ज की जानी है) |
|--------|-----------------|--------------------------------------|---|--|
| 1      | चक हीरासिंहवाला | चक 3 एनकेआर<br>48/35 ज.स.<br>2073-76 | सरजीत सिंह पुत्र<br>करनैल सिंह          | सीता सिंह पुत्र करनैल<br>सिंह                                      |

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।



क्रमांक :- सम/258

11/2/23  
(रमेशादेव)  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया  
दिनांक :- 16/2/2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी सीता सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक हीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

11/2  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया